



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27072026-274832
CG-MH-E-27072026-274832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3891]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3891]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 37A के तहत

का.आ. 4061(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत "PH-16:-बल्लारशाह स्टेशन पर मौजूदा अप साइड गुड्स शेड लाइन के बगल में एक आतिरिक्त माल लाइन और मानिकगढ़ छोर पर अप मेन लाइन से दोनों लाइनों की कनेक्टिविटी, मानिकगढ़ छोर पर शॉर्ट शंटिंग नेक आदि का प्रावधान" "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिला गांव/तालुका बल्लारपुर में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/NGP Division/BPQ Station/ SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(CENTRAL RAILWAY)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th July, 2026

Under clause 37A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4061(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies **“PH-16:- Provision of 1 additional Goods line adjacent to existing UP side goods shed line & both line connectivity to UP ML at MAGH End, short shunting neck at MAGH End etc at BPQ station”** Railway project under **“Special Railway Project”** for acquisition of land in **Chandrapur District Village/Taluka Ballarpur** in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/NGP Division/BPQ Station/ SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)